



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र : .....146/2024

निर्णय दिनांक : 05.06.2024

1. देवेन्द्र सिंह नरुका पुत्र श्री समुन्दर सिंह नरुका निवासी-सी-392, सिद्धार्थ नगर, जगतपुरा रोड, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम


1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।  
...अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बाबत  
सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी करवाने हेतु

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वामित्व व अधिकार की आराजी कृषि भूमि खाता संख्या नया 6 पुराना 6 में वर्णित खसरा नम्बर 1067/288 रकबा 0.1000 हैक्टर, वाके ग्राम दयालपुरा पटवार हल्का मोहनपुरा, भू.अ.नि.क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है। प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की सुरक्षार्थ हेतु उसके चारों तरफ पुख्ता पत्थरगढी करवाना चाहता है। जिससे आवारा मवेशी प्रार्थी की उक्त भूमि के अन्दर नहीं घुस सके तथा प्रार्थी की फसल को नष्ट नहीं कर सके। प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत सीमाज्ञान का श्रीमान तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात का सीमाज्ञान करने के आदेश प्रदान करे। जिस पर तहसीलदार ने आदेशित कर प्रार्थी की कृषि भूमि के सीमाज्ञान के आदेश प्रदान कर दिये। तहसीलदार के उक्त आदेश की पालना में हल्का पटवारी ने प्रार्थी व पडौसी खातेदारों की मौजूदगी में दिनांक 20.05.2024 को मौके पर सीमा चिन्ह कायम कर दिये किन्तु समय के साथ उक्त सीमा चिन्ह नष्ट हो गये। प्रार्थी मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के अभिलिखित खातेदार काबिज काश्तकार है। प्रार्थी को अपनी भूमि का पुख्ता पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वाद कारण अलग अलग दिनों में प्रार्थी की कृषि भूमि में आवारा पशुओं द्वारा अन्दर घुसकर फसल को नष्ट किये जाने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि जो प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित है का वर्तमान राजस्व नक्शे के आधार पर ही सीमाज्ञान करवाया जाकर, तदनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश अप्रार्थी संख्या 1 को प्रदान करते हुए उक्त आशय की तहरीर जारी करने की कृपा करे। अन्य अनुतोष जो प्रार्थी के हित में हो, वह भी प्रार्थी के पक्ष में पारित करने की कृपा करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी की पत्रावली में वहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाने कृपा करे।

बहस उपस्थित प्रार्थी अधिवक्ता व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि यदि अन्य किसी दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थी की ग्राम दयालपुरा पटवार हल्का मोहनपुरा, भू.अ.नि.क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 6 पुराना 6 में वर्णित खसरा नम्बर 1067/288 रकबा 0.1000 हैक्टेयर का मौक देखकर पडौसी खातेदारों की उपस्थिति में नियमानुसार तहसीलदार सांगानेर की सीमाज्ञान मौका-फर्द रिपोर्ट दिनांक 06.05.2022 के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(हिम्मत सिंह)

आर.ए.एस.  
उपस्थित अधिकारी  
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर)

जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),

जयपुर